

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज, बरेली।

पत्रांक:

1986 /17

दिनांक: 30/09/2017


सचिव

राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट,

बी - 65, एकता नगर, बरेली।

विषय:- भू-उपयोग के सम्बन्ध में।

आपके द्वारा दिनांक 27.09.2017 को ग्राम लभेड़ा उर्फ बुलन्दनगर तहसील, नवाबगंज, जिला बरेली में स्थित गाटा सं० 271, 277 में राजश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बरेली कालेज निर्माण हेतु चाही गई अनापत्ति के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से जाच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार की आख्यानुसार प्रश्नगत उपरोक्त गाटा नम्बरान का सम्पूर्ण क्षेत्रफल मौके पर एकीकृत रूप में है। न्यायालय द्वारा आकृषिक प्रयोजनार्थ अन्तर्गत धारा 143 एल०आर० एक्ट उद्घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त नम्बरान में राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रश्नगत राजश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बरेली का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, जिसमें अन्य सभी विधिक अहर्ताओं व औपचारिकताओं व मानकों को ट्रस्ट द्वारा पूर्ण करते हुए प्रशासनिक दृष्टि से कोई भी आपत्तिजनक तथ्य वर्तमान में उद्भाषित होना प्रतीत नहीं होता है। अतः शिक्षण हेतु निर्माण कार्य कराये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।


30/9/17
उप जिलाधिकारी,
नवाबगंज- बरेली
उप जिलाधिकारी
नवाबगंज